

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 6(06) कृषि-1/2020

जयपुर, दिनांक : 01.10.2020

आदेश

“राजस्थान कृषि सेवा नियम-1960” के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर श्री विनोद सिंह गौतम, कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौ०व्याधि) (पात्रता सूची क्रमांक-01 तथा रिक्ति की दिनांक 01.07.2020) को उप निदेशक, कृषि (पौ० व्याधि) के पद पर वर्ष 2020-21 की रिक्ति के प्रति वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री गौतम के पदस्थापन आदेश जारी किए जाने के उपरान्त इनको नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

Sd-
(डॉ०एस०पी० सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राज० जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (कार्यवाही विवरण की प्रति सहित)।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्त, कृषि विभाग, राज० जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

1/10
संयुक्त शासन सचिव

P.T.O'


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक- प.1(1)(जी-36)निकृ/गुप-8/2658-63

दिनांक : 1-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) कृषि आयुक्तालय जयपुर।
2. कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि).....।
3. ए.सी.पी. मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करावे।
4. संबंधित अधिकारी श्री.....
5. निजी / आरक्षी पत्रावली।


(सीताराम जाट) 01/10/20
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)